

संख्या 31/229/91-स्थापना-03
वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
न्यू फौरेस्ट, देहरादून।

दिनांक 12 जनवरी 2023

आदेश

समय-समय पर संशोधित सेन्ट्रल सिविल सर्विसेस (पैशन) नियम, 1972 के नियम 48 (ए) (1) के प्रावधानो के प्रकाश में यह देखते हुए कि श्री चन्दन सिंह रावत, बहु कार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.), पहरा एवं निगरानी अनुभाग, वन अनुसंधान संस्थान ने 32 वर्ष एवं 29 दिन की अर्हक सेवा पूर्ण कर ली है। एतद्वारा श्री चन्दन सिंह रावत, बहु कार्य कर्मचारी द्वारा दिनांक 01/11/2022 से तीन माह की नोटिस अवधि के उपरान्त भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पूर्व लिखित सूचना (नोटिस) को निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा दिनांक 12/01/2023 को स्वीकार कर लिया गया है। वह दिनांक 01/02/2023 (पूर्वाहन) को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होंगे।



कुलसचिव
वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद।
2. अवर सचिव, पैशन सैल, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून।
3. पहरा एवं निगरानी अधिकारी, व०अ०स० कृपया श्री चन्दन सिंह रावत, बहु कार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) को दिनांक 01/02/2023 (पूर्वाहन) को कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करे।
4. श्री चन्दन सिंह रावत, बहु कार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) द्वारा पहरा एवं निगरानी अधिकारी, व०अ०स० को उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उन्हे सलाह दी जाती है कि वह सभी सम्बद्ध प्रभागों/अनुभागों से बे-बाकी (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखानुभाग, व०अ०स० को भेज दे।
5. लेखाधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
6. सतर्कता अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
7. अनुभाग अधिकारी, भवन एवं विविध अनुभाग, भण्डार अनुभाग, कारखाना शाखा एवं एन.एफ.एल.आई.सी., आई०टी०शाखा वन अनुसंधान संस्थान।
8. व्यक्तिगत/गार्ड फाईल।



12/01/2023
FRI website